13-12-2014

प्रकरण आज दिनांक को राष्ट्रीय वृहद लोक अदालत में सुनवाई हेत् नियत है।

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. श्री अनिल माहोरे। आरोपी सहित श्री गणेश गोंडाने अधिवक्ता उपस्थित। फरियादी गीता गोंडाने उपस्थित

प्रकरण में पूर्व पेशी दिनांक को उभयपक्ष की ओर से राजीनामा पेश किया गया है जिसे तस्दीक किया जा चुका है। उभयपक्ष की ओर्रेसे प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। आरोपी के विरूद्ध सभी अपराध शमनीय होने से आरोपी शांता मेश्राम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 506 भाग दो के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

> आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज किया जाकर प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जाये।

्रमेल प्रश्ने हिंदि हैं। स्वाहित हैं। स्वाह न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर

सदस्य